



दूरभाष
0522-2288656

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।**

फैक्स 0522-2288655

E-Mail-cehydelpcl@gmail.com

संख्या:- 289-अ-7/मु०अ०(ज०वि०)/अधि० आ० आवंटन/2017

दि०:- मार्च, 18, 2017

कार्यालय-ज्ञापन

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/ उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि० के अधोनामित अधिकारीगण के नाम विभागीय अधिकारी कालोनी में रिक्त उपलब्ध आवास का स्तम्भ-4 एवं 5 में उल्लिखित विवरण के अनुसार एतद्वारा आवंटन/निरस्तीकरण किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा तैनाती स्थल	आवासीय स्थिति	आवंटित आवास	टिप्पणी
1	2	3	4	5
सर्वश्री				
1	चन्द्रोदय कुमार, एच०जे०एस० विधि अधिकारी, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन लखनऊ।	बाहर	क्लाइडरोड 17/9	कार्या०ज्ञाप सं०-274-अ-7 दि० 08.03.17 द्वारा विशेष परिस्थितियों में आवंटित चन्द्रलोक 4/45 निरस्त करते हुए विशेष परिस्थितियों में रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटित।
2	श्रीमती रमा श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, वाणिज्य इकाई, उत्पादन निगम, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ वरिष्ठता क्रमांक 22	बाहर	चन्द्रलोक 4/45	रिक्त है।
3	श्री राज आलोक, अधिशी अभियन्ता, 132 के०वी० सबस्टेशन नींबू पार्क मेहताब बाग, निरय गुलाल घाट, उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०, लखनऊ वरिष्ठता क्रमांक 11	बाहर	पीएनआर 4/25	रिक्त है।
4	सुश्री पल्लवी सिंहल, सहा०अभि०, आर०ए०पी०डी०आर०पी०, रेस्पो, लखनऊ वरिष्ठता क्रमांक 21	बाहर	-	कार्या०ज्ञाप सं०-274-अ-7 दि० 08.03.2017 द्वारा आवंटित चन्द्रलोक ट्रांजिट 02 स्थानान्तरण के फलस्वरूप निरस्त किया जाता है।
5	श्री संदीप कुमार सिंह, सहा०अभि०, वि०न०परी०ख०-प्र० लेसा लखनऊ वरिष्ठता क्रमांक 42	बाहर	चन्द्रलोक ट्रांजिट 02	रिक्त होने की तिथि से आवंटित।

वरिष्ठता क्रम संख्या 04 पर अंकित अधिकारी श्री करन सिंह सहायक अभियन्ता सेवा निवृत्त हो चुके हैं। वरिष्ठता क्रमांक 02, 03, 05, से 10, 12 से 20 एवम 23 से 41 तक आवेदकों के प्राथमिकता पर इच्छित कालोनी/तल/आवास उपलब्ध न होने के कारण आवास आवंटित नहीं किया जा सकता।

आवंटित आवास में सिविल कार्यों की कमी होने की स्थिति में आवंटीगण जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता से पत्राचार करें एवं नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में आवास का अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें।

परिषदादेश सं०-4220-डब्लू/एसईबी/81-82 दिनांक 06.05.82 के अन्तर्गत उपरोक्त अधिकारियों को आवास अधिग्रहण तिथि अथवा आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा 8वें दिन जो भी पहले हो से मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा तथा विद्युत मद में नियमानुसार कटौती भी प्रारम्भ कर दी जाय।

**अध्यक्ष आवास आवंटन समिति एवं
मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)**

संख्या :- 209 -अ-7/तददिनांक: 10-3-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(जानपद), पारेषण-द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह अभिधारण लेने वाले अधिकारीगणों की सूची इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराये।
3. सम्बन्धित आवंटीगणों को इस आशय से प्रेषित कि वह नियमित आवंटित आवास का एक माह के भीतर तथा शिफ्टिंग पर आवंटित आवास का अभिधारण एक सप्ताह के भीतर करेंगे अन्यथा की स्थिति में आवंटन आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा, साथ ही आवास किराया भत्ता उनसे तब तक वसूल किया जाता रहेगा जब तक इस आवास का आवंटन किसी अन्य सुपात्र को नहीं कर दिया जाता। अधिग्रहण न लेने की स्थिति में नियमानुसार उन्हें प्रथम बार एक वर्ष के लिए वारित भी कर दिया जायेगा।
4. अधिशासी अभियन्ता(वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ की वह सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित पदधारी।
6. मुख्य अभियन्ता, (जल-विद्युत) के शिविर सहायक।
7. कटफाइल।

(एम०के० जाखनवाल)

संयोजक एवं सदस्य

अधिकारी आवास आवंटन समिति
कृते मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)